

DECLARATION U/S 206AB/206CCA OF THE INCOME TAX ACT, 1961

From: (Name and Address)

To: (Name and Address)

I/We, _____, having Permanent Account Number _____, am/are resident in India and hereby declare that provision of Sec 206AB/206CCA are not applicable on me/us as the aggregate tax deducted at source (TDS) and tax collected at source (TCS) was less than ₹ 50,000/- in AY 20____ - ____ (anyone of the last 2 immediate AYs for which time period of filing ITR has expired) as evident from our Form 26AS, downloaded online from Income Tax Portal, attached.

I/We hereby declare that I/we am/are duly authorized to give this declaration and the information stated above is true to the best of my/our knowledge and belief. If there is any incorrect declaration, I/we undertake to indemnify you/your organisation; for any monetary loss, interest or any penal consequences.

Place:

(Signature)

Date:

Name:

Designation:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB/206CCA के अन्तर्गत घोषणापत्र

प्रेषक : (नाम व पता)

सेवा में : (नाम व पता)

मैं/हम _____ पैन संख्या _____ भारत में निवासी हूँ/हैं और यह घोषणा करता/करते हूँ कि धारा 206AB/206CCA के प्रावधान मुझ/हम पर लागू नहीं हैं क्योंकि कुल टी0डी0एस0 और टी0सी0एस0 निर्धारण वर्ष 20____ - ____ (पिछले 2 तत्काल वर्ष में से कोई भी जिसके लिए आई0टी0आर0 दाखिल करने की समय अवधि समाप्त हो गई है) में ₹ 50,000/- से कम था जैसा कि संलग्न किए गए फॉर्म 26AS से स्पष्ट है जो आयकर पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया है।

मैं/हम घोषणा करते/करता हूँ कि मैं/हम इस घोषणा को देने के लिए विधिवत अधिकृत हूँ/हैं और ऊपर बताई गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि कोई गलत घोषणा होती है, तो मैं/हम आपके संगठन की क्षतिपूर्ति (किसी भी मौद्रिक हानि, ब्याज या किसी दंडात्मक परिणाम) करेंगे/करूँगा यह वचन देते/देता हूँ/हूँ।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक:

नाम:

पद: